जमीन जायदाद में औरतों के हक

1956 में बने हिंदू उत्तराधिकार कानून में औरतों को काफी हक़ दिए गए हैं।

औरतों के कुछ महत्वपूर्ण हक़ —

- पुरुष की जायदाद में उसकी विधवा पत्नी, मां, बेटियों और बेटों को बराबर का हिस्सा मिलता है।
- पिता से पहले मरी लड़की या मरे लड़के के बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा। उतना ही जितना उनकी मां या उनके पिता को मिलता।
- पिता के रिहायशी मकान में कुंवारी लड़की, विधवा लड़की या ऐसी लड़की जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो या तलाक दे दिया हो, रहने की हक़दार है। वह भाइयों की मर्जी पर नहीं है। वह क़ानूनन अपने पिता के मकान में रह सकती है।

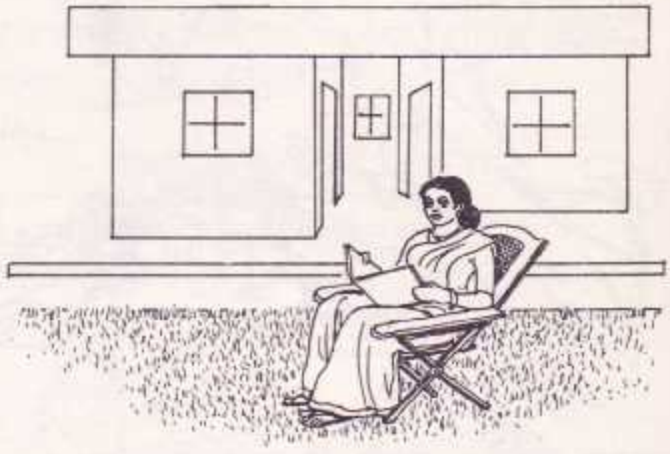

- पति की मृत्यु के समय यदि पत्नी के पेट में बच्चा है तो बच्चा भी जायदाद में हिस्से का हक़दार है।
- औरत का अपनी जायदाद पर पूरा मालिकाना हक़ होता है। वह उसे बेच सकती है, गिरवी रख सकती है या जैसे चाहे, जिसको चाहे दे सकती है।
- औरत के नाम जो भी जायदाद, जेवर या धन है जो उसे शादी के पहले, शादी के समय या शादी के बाद में मिलता है वह उसका स्त्री-धन है। उस पर उसका पूरा हक़ होता है।
- विरासत में, उपहार में मिली या तलाक़ के बाद गुज़ारे-भत्ते के लिए मिली संपत्ति पर औरत का पूरा हक़ होता है। वह उसके बारे में अपनी मर्जी की वसीयत कर सकती है।
- विरासत में संपत्ति मिलने के बाद कोई विधवा दुबारा ब्याह कर ले तो उसे संपत्ति लौटाने के

लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता। उस पर उसका कानूनन हक़ बना रहता है।

- नए विरासत क़ानून में विधवा का चाल-चलन ख़राब बताकर उसका हक़ नहीं मारा जा सकता।
- संयुक्त हिंदू परिवार में विधवा अपने पति के हिस्से की वारिस है। लेकिन उसे भागीदार नहीं माना जाता है।

इतने हक़ों के मिलने पर भी कानून में कई खामिया हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि चाहे वह मृतक की पत्नी हो या लड़की, खुद बंटवारे की अपील दायर नहीं कर सकती। जब कोई पुरुष वारिस बंटवारा कराएगा तो उसे भी जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा। □